उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

सं0- 2 -विनियम-23/पाकालि-2002-5विनियम/88 दिनांक: 2, जनवरी, 2002

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञाप सं0-211-विनियम-23/पाकालि-2001-11विनियम/88 दिनांक 6.12.2001 द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली-1970 एवं उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा विनियमावली-1970 के विनियम-5 में निर्गत प्राविधानों को जैसा कि स्तम्भ-1 में इंगित है, को तत्काल स्तम्भ-11 में दिये गये प्राविधानों से निम्नवत प्रतिस्थापित कर लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-11
उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली - 1970	उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली - 1970
विनियम -5 भर्ती का स्रोत	विनियम-5 भर्ती का स्रोत
(1) सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित रहेंगे तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग-अलग की जायेगी। जिस वर्ष जिस वर्ग में पद रिक्त होंगे उसी वर्ग में भर्ती/प्रोन्नति की जायेगी ।	(1) सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित रहेंगे तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग-अलग की जायेगी तथा जिस वर्ष जिस वर्ग में पद रिक्त होंगे उसी वर्ग में भर्ती/प्रोन्नति की जायेगी :-
(क) 57 प्रतिशत --------प्रशिक्षित अभियंताओं में से सीधी भर्ती हेतु ।	(क) $50\frac{1}{3}$ प्रतिशत --------प्रशिक्षित अभियंताओं में से सीधी भर्ती हेतु ।
(ख) 33.33 प्रतिशत -------- अवर अभियन्ता से प्रोन्नति द्वारा चयन वर्ग के सदस्यों से परिशिष्ट "ग" में विहित रीति के अनुसार पदोन्नति हेतु ।	(ख) 40 प्रतिशत --------अवर अभियन्ता से प्रोन्नति द्वारा चयन वर्ग के सदस्यों से परिशिष्ट "ग" में विहित रीति के अनुसार पदोन्नति हेतु ।
(ग) 1.33 प्रतिशत --------स्थायी एवं अर्ह संगणकों (चयन वर्ग) (विद्युत/यांत्रिक) से परिशिष्ट "ग" में विहित रीति के अनुसार पदोन्नति हेतु ।	(ग) $1\frac{1}{3}$ प्रतिशत --------स्थायी एवं अर्ह संगणकों (चयन वर्ग) (विद्युत एवं यांत्रिक) से परिशिष्ट "ग" में विहित रीति के अनुसार पदोन्नति हेतु ।
(घ) 8.33 प्रतिशत --------डिग्रीधारी अवर अभियंता/संगणकों से प्रोन्नति हेतु ऐसे अवर अभियन्ता/संगणकों जो बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 की अर्हता प्राप्त हो तथा जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस (प्रथम जुलाई) को अवर अभियंता/संगणक पद पर 10 वर्षों की अर्ह सेवा पूरी कर ली हो ।	(घ) $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत --------डिग्रीधारी अवर अभियंता संगणक से प्रोन्नति हेतु ऐसे अवर अभियन्ता/संगणकों जो बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 की अर्हता प्राप्त हों तथा जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस (प्रथम जुलाई) को अवर अभियन्ता/संगणक पद पर 10 वर्षों की अर्ह सेवा पूरी कर ली हो ।

प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त ‡IV‡ के विरुद्ध भरे जाने वाले पदों की संख्या अवर अभियन्ताओं व संगणकों में से बाँटी जायेगी, जो उपरोक्त ‡II‡ एवं ‡III‡ में वर्णित पदोन्नति के कोटा के अनुपात में होगी ।

प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त ‡घ‡ के विरुद्ध भरे जाने वाले पदों की संख्या अवर अभियन्ताओं व संगणकों में से बाँटी जायेगी जो उपरोक्त ‡ख‡ एवं ‡ग‡ में वर्णित पदोन्नति के कोटे के अनुपात में होगी ।

आर0 के0 नारायन
अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक

संख्या-2‡I‡ विनियम-23/पाकालि -2002 तद् दिनांक 1 02.02.2002

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव ‡ऊर्जा‡, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
2- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ
3- समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
4- समस्त मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ‡
5- मु-महा प्रबन्धक, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
6- मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, लेखा शाखा, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
7- महा प्रबन्धक‡कम्प्यूटर ईकाई‡उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
8- मुख्य महाप्रबन्धक, आर0पी0एम0ओ0, शक्ति भवन विस्तार, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
9- समस्त अधिकारी/अनुभाग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।

आज्ञा से,

‡ईश्वर लाल‡
महाप्रबन्धक ‡का0प्र0-03‡